रा.मु.बी. 136-9-2013-5,000 प्र.

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ______ मुकाम ______

भूराराम बनाम नानूराम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 31/2017 नं. ______ सन ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.5.19	वकील अपीलांट तथा राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस सुनी गई तथा पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलांट का कथन है कि उसे चौटी से चक 6 SSM के मु.नं. 87/4 रकबा 25 बीघा का आवंटन किया गया था। यही भूमि दिनांक 25.11.1963 को रेस्पोडेण्ट नानूराम को आवंटित कर दी गई। अपीलांट ने दिनांक 22.3.1976 की आवंटन अधिकारी की नोटशीट पेश की है जिसके साथ आवंटन आदेश की प्रति नहीं है। यह अपील रेस्पो० को आवंटन करने तथा खातेदारी सनद जारी होने के 17 साल बाद पेश की गई है। अपीलांट ने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे उसे आवंटित भूमि पर कब्जा देने या काश्त किया जाना साबित होता हो। अपीलांट ने यदि कब्जा ले लिया होता तो उसके पक्ष में खातेदारी सनद भी जारी होती तथा सहवन से उक्त मुरब्बा अन्य को आवंटित भी कर दिया होता तो तत्काल बाद इसकी जानकारी मिल सकती थी। अपीलांट/आवेदी अपने अधिकारों तथा भूमि पर कब्जा काश्त को लेकर तटस्थ रहा। अपने कथित आवंटन के 40 साल बाद तथा रेस्पो० के आवंटन के 35 साल बाद अपील पेश करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जाती है। [signature]	